बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)

दिनांक–03.06.2019 को प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में विडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य में संचालित विभिन्न परियोजनाओं हेतु भू–अर्जन की राज्य स्तरीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों, एन0एच0ए0आई0 और रेलवे के अधिकारियों का सहायक निदेशक, भू–अर्जन द्वारा स्वागत किया गया।

2. प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा एन0एच0ए0आई0 एवं रेलवे द्वारा संचालित एवं कार्यान्वित की जा रही विभिन्न परियोजनाओं की जिलावार एवं परियोजनावार समीक्षा की गयी।

3. हाजीपुर–सुगौली नई रेल लाईनः– इस परियोजना अंतर्गत पुराने भू–अर्जन अधिनियम के तहत पू0चंपारण जिले के कुल 21 मौजों में कुल 512.94 एकड भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। रेलवे के पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिन राजस्व ग्रामों में 80 प्रतिशत राशि का भुगतान कर दिया गया है। 20 प्रतिशत भुगतान नहीं होने के कारण कार्य बाधित है, वैसे ग्रामों में प्राथमिकता के आधार पर मुआवजा भुगतान किये जाने की आवश्यकता है। जिला भू अर्जन पदाधिकारी, पू0चंपारण द्वारा बताया गया कि नये एक्ट के तहत नौ राजस्व ग्रामों का एस0आइ0ए0 पूर्ण हो चुका है। 5 राजस्व ग्रामों का एस0आइ0ए0 की कार्रवाई संस्था द्वारा प्रारंभ की गयी है। 4 राजस्व ग्रामों के एस0आइ0ए0 हेतु प्रकियागत फीस की मांग अधियाची विभाग से की गयी है। 1 राजस्व ग्रम की प्रकियागत फीस की मांग संस्था से की गयी है। 2 राजस्व ग्रामों का अधियाचना अप्राप्त है। एक राजस्व ग्राम केसरिया का अधिसूचना बाकी है, जिसका 10 दिनों में अधिसूचना कर दिया जायेगा।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जिला भू अर्जन पदाधिकारी, पू0चंपारण को यथा शीघ्र मुआवजा भुगतान करने तथा एन0एन0सिन्हा इंस्टीच्यूट से संपर्क कर एस0आइ0ए0 के संबंध में सूचना प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

इस परियोजना अंतर्गत मुजफ्फरपुर जिले के कुल 58 राजस्व ग्रामों में कुल–569.46 एकड भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा बताया गया कि कुल–564.00 एकड़ का दखल कब्जा दे दिया गया है। भुगतान की कार्रवाई की जा रही है। सरैया प्रखंड के कुछ गांवों में दर/संरचनाओं के भुगतान नहीं होने के कारण कार्य प्रभावित है। प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा सक्षम प्राधिकार/न्यायालय में राशि जमा कर दखल कब्जा एक सप्ताह के अंदर देने का निदेश दिया गया। रेलवे के पदाधिकारी द्वारा ग्रामवासियों के साथ बैठक करने की इच्छा जाहिर की गयी। जिला भू अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को ईद के बाद बैठक आहूत करने का निदेश दिया गया।

इस परियोजना के अन्तर्गत वैशाली जिले के कुल 40 मौजों में 391.565 एकड भूमि का अर्जन किया जाना है तथा 30 कि0 मी0 लंबित रेल लाईन का निर्माण किया जाना है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, वैशाली द्वारा बताया गया कि सभी मौजों का दखल कब्जा सौंपा जा चुका है।

अरड़ा में भूमि की किस्म/प्रकृति पर आपत्ति के निकारण हेतु 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। रैयती भूमि के संबंध में भू–अर्जन अधिनियम 2013 के तहत विशेषज्ञ समूह समिति द्वारा एस0आइ0ए0 प्रतिवेदन का अनुमोदन कर दिया गया है तथा प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशित किया जा चुका है।

घोसबर राजस्व ग्राम में दर निर्धारण तथा प्राक्कलन स्वीकृति की कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है तथा मूल्यांकण पंजी एवं पंचाट पंजी तैयार की जा चुकी है। मुआवजा भुंगतान की कार्रवाई की जा रही है।

मौजा बसाढ़ में विशेषज्ञ समिति द्वारा एस0आइ0ए0 प्रतिवेदन अनुमोदित हो चुका है। अधिसूचना का प्रकाशन किया जा चुका है। रैयतों द्वारा भूमि के वर्तमान स्वरूप/किस्म/प्रकृति पर आपत्ति निराकरण हेतु समिति का गठन किया गया है। गठित समिति द्वारा स्थल निरीक्षण के उपरांत जमीन का किस्म निर्धारित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के भूमि के वर्गीकरण के संबंध में विभाग द्वारा मार्गदर्शन उपलब्ध करा दिया गया है।

4. जयनगर–वर्दीवास न्यू बी0जी0 लाईनः–इस परियोजना अंतर्गत मधुबनी जिला में भू अर्जन प्रकियाधीन है तथा एलाइनमेंट में पड़नेवाले मंदिर को हटाकर बगल में मंदिर हेतु संरचना का निर्माण किया जाना है। रेलवे के पदाधिकारी द्वारा सरकारी भूमि का हस्तांतरण भी यथाशीघ्र किया जाना अपेक्षित है। प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा सरकारी भूमि के हस्तांतरण हेतु प्रस्ताव यथाशीघ्र विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

5. बंधुआ–पैमार रेलवे लाईन बाइपासः– इस परियोजना अंतर्गत गया जिला के 13 मौजा में भू अर्जन प्रकियाधीन है। 9.45 हे0 भूमि का दखल कब्जा दे दिया गया है। रेलवे के पदाधिकारी द्वारा मुआवजा भुगतान के संबंध में चिंता व्यक्त की गयी। कुल प्राप्त 51.00 करोड में मात्र 13.00 करोड रू0 का वितरण हो पाया है। प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राशि के वितरण में तीव्रता लाने तथा विवाद की स्थिति में राशि प्राधिकार न्यायालय में जमा करने का निदेश दिया गया।

6. छपरा–मुज0 नई बडी रेल लाईनः–इस परियोजना अंतर्गत पुराने भू–अर्जन अधिनियम के तहत मुजफ्फरपुर जिले के कुल 14 राजस्व ग्रामों में 176.81 एकड भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा बताया गया कि सभी भूमि का दखल कब्जा दे दिया गया है।

नये भू–अर्जन अधिनियम के तहत 07 राजस्व ग्रामों का एस0आइ0ए0 प्रकियाधीन है। विशेषज्ञ समिति का गठन किया जा रहा है।

इस परियोजना अंतर्गत सारण जिले के कुल 46 राजस्व ग्राम में कुल 439.87 एकड भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। भू–अर्जन अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत 22 ग्रामों का दखल कब्जा दे दिया गया है। भू–अर्जन अधिनियम, 2013 के अर्न्तगत 24 राजस्व ग्राम में भू–अर्जन किया जा रहा है। गरखा एवं बिष्णुपुर में मुआवजा भुगतान प्रकियाधीन है। 09 राजस्व ग्रामों का एस0आइ0ए0 लंबित है।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा यथाशीघ्र मुआवजा भुगतान करने हेतु कैम्प का आयोजन करने का निदेश दिया गया।

7. हथुआ–भटनी रेल लाईनः–इस परियोजना अंतर्गत गोपालगंज जिले में कुल 315.5175 एकड भूमि का अधिग्रहण किया जाना है जिसमें से सभी भूमि का दखल–कब्जा दे दिया गया है। प्रथम चरण में कुल–47 मौजों में भू–अर्जन हेतु पंचाट घोषित किया जा चुका है। द्वितीय चरण में 5 ग्रामों का नये एक्ट के तहत अधियाचना प्राप्त हुआ है। अधियाचना त्रुटिनिराकरण हेतु वापस किया गया है।

8. तिलैया–कोडरमा नई रेल लाईन परियोजना:– इस परियोजना अंतर्गत नवादा जिला के कुल 30 राजस्व ग्रामों में 335.085 एकड भूमि का अर्जन किया जाना था। सभी भूमि का दखल कब्जा दे दिया गया है। प्राप्त 16.66 करोड में से 11.34 करोड का भुगतान कर दिया गया है। मुआवजा भुगतान हेतु कैम्प का भी आयोजन नियमित रूप से किया जा रहा है। रेलवे के पदाधिकारियों द्वारा अवशेष मुआवजा राशि के शीघ्र भुगतान का अनुरोध किया गया।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इस परियोजना से संबंधित अवशेष मुआवजा राशि का वितरण यथाशीघ्र सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

9. राजगीर–तिलैया रेलवे परियोजना:– इस परियोजना अंतर्गत नवादा जिला के कुल 13 राजस्व ग्रामों में कुल 182.99 एकड भूमि का अर्जन किया जाना है। 176.365 एकड भूमि का दखल कब्जा दे दिया गया है। प्राप्त 11.93 करोड में से 8.93 करोड का भुगतान कर दिया गया है।

बैठक में उपस्थित रेलवे के पदाधिकारियों द्वारा अवशेष मुआवजा राशि के शीघ्र भुगतान का अनुरोध किया गया।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इस परियोजना से संबंधित अवशेष मुआवजा राशि का वितरण यथाशीघ्र सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

10. गया (डी0 एफ0 सी0 सी0 कोलकाता जोन):– बैठक में उपस्थित रेलवे के पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि इस परियोजना के अन्तर्गत गया जिले के 80 राजस्व ग्रामों में कुल–277.26 एकड़ (112.20 हे0) रैयती भूमि का अर्जन किया जाना है। साथ ही 83.39 एकड़ सरकारी भूमि का हस्तांतरण किया जाना था। कुल 127 हे0 भूमि का दखल कब्जा दिया गया है।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गया को अवशेष मुआवजा भुगतान हेतु प्रतिसप्ताह कैम्प आयोजित करने एवं सरकारी विभागों की भूमि का दखल–कब्जा रेलवे को यथाशीघ्र दिलाने का निदेश दिया गया।

11. औरंगाबाद (डी0 एफ0 सी0 सी0):–(वाराणसी जोन)– बैठक में उपस्थित रेलवे के पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि इस परियोजना के अन्तर्गत औरंगाबाद जिले में कुल–55.67 एकड़ भूमि का अर्जन किया जाना है।

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा बताया गया कि आपसी विवाद के कारण रैयतों को भुगतान नहीं हो पा रहा है। बकाश्त भूमि के मामले में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, औरंगाबाद द्वारा पारित आदेश के आलोक में मुआवजा भुगतान की कार्रवाई अपेक्षित है।

प्रधान सचिव द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद को प्राथमिकता के आधार पर मुआवजा राशि का भुगतान करने तथा विवदित मामलों में राशि को नियमानुसार प्रिंसिपल सिविल कोर्ट में तत्काल जमा कराने का निदेश दिया गया।

(कोलकाता जोन) :– बैठक में उपस्थित रेलवे के पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि इस परियोजना के अन्तर्गत औरंगाबाद जिले में कुल–163.63 एकड़ भूमि का अर्जन किया जाना है।

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा बताया गया कि अवशेष मुआवजा राशि का भुगतान किया जा रहा है। मौजा गम्हार में अधिसूचना पुराने सर्वे के अनुसार हुआ है।

12. एन0एच0–527सी (मझौली–दरभंगा–चिरौत):–इस परियोजना अंतर्गत मुजफ्फरपुर जिला में कुल 85.854 हे0 भूमि का अर्जन किया जाना है। प्राप्त 218.66 करोड में से 89.52 करोड का वितरण कर दिया गया है। लगभग 14 हे0 सरकारी भूमि का हस्तांतरण जिला स्तर पर प्रकियाधीन है।

इस परियोजना अंतर्गत सीतामढी जिला में कुल 82.068 हे0 भूमि का अर्जन किया जाना है। प्राप्त 114.41 करोड में से 15.22 करोड का वितरण कर दिया गया है। 09 राजस्व ग्रमों का प्राक्कलन स्वीकृत है। 5 राजस्व ग्राम का प्राक्कलन स्वीकृति हेतु एन0एच0ए0आई0 के पास लंबित है। मुआवजा भुगतान प्रकियाधीन है।

इस परियोजना अंतर्गत मधुबनी जिला में कुल 7.647 हे0 भूमि का अर्जन किया जाना है। प्राप्त 14.46 करोड में से 4.29 करोड (258 रैयत) का वितरण कर दिया गया है। जिला भू अर्जन पदाधिकारी, मधुबनी को 3.7327 एकड़ सरकारी भूमि के हस्तांतरण हेतु प्रस्ताव एक सप्ताह में विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा दिया गया।

इस परियोजना अंतर्गत दरभंगा जिला में कुल 8.5313 हे0 भूमि का अर्जन किया जाना है। 05 राजस्व ग्रमों का प्राक्कलन स्वीकृति हेतु एन0एच0ए0आई0 के पास लंबित है।

एन0 एच0 ए0 आई0 के पदाधिकारियों द्वारा मुआवजा भुगतान तीव्रगति से करने तथा दखल–कब्जा यथाशीघ्र दिये जाने का अनुरोध किया गया। प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा मुआवजा का भुगतान यथाशीघ्र करने तथा दखल–कब्जा देने का निर्देश सभी जिला भू अर्जन पदाधिकारियों को दिया गया।

13. एन0एच0 80 (मुंगेर–मिर्जाचौकी):–इस परियोजना अंतर्गत भागलपुर जिला के कुल 89 राजस्व ग्रामों में कुल 529.712 हे0 भूमि का अर्जन किया जाना है।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा 15 जून तक 3डी प्रकाशन हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश जिला भू अर्जन पदाधिकारी, भागलपुर को दिया गया।

14. एन0एच0–83 (पटना–गया–डोभी खंड):– इस परियोजना अंतर्गत जहानाबाद जिला में कुल 189.645 हे0 भूमि का अर्जन किया जाना है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, जहानाबाद द्वारा बताया गया कि प्राप्त 525.89 करोड में से 255.52 करोड का वितरण किया जा चुका है। जहानाबाद बाइपास में केन्द्रीय मुल्यांकन समिति से दर स्वीकृत हो चुका है। अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। 7.781 हे0 बकास्त भूमि का रैयतीकरण किया जाना है।

इस परियोजना अंतर्गत गया जिला में कुल 332.2950 हे0 भूमि का अर्जन किया जाना है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गया द्वारा बताया गया कि कुल 59 कि0मी0 लंबाई में से 46 कि0मी0 में दखल कब्जा सौंप दिया गया है। रैयतों के आपसी विवाद के कारण बीच–बीच में कार्य बाधित है। 2 हे0 सरकारी भूमि का हस्तांतरण लंबित है। 03 राजस्व ग्राम का संशोधित 3जी0 एवार्ड जिला स्तर पर लंबित है।

प्रधान सचिव द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, जहानाबाद को मुआवजा भुगतान यथाशीघ्र करने तथा 11 कि0मी0 में संरचनाओं का मूल्यांकन जल्द करने हेतु भवन निर्माण विभाग से सम्पर्क करने का निदेश दिया गया।

15. एन0एच0–02 (औरंगाबाद–वाराणसी खंड):– इस परियोजना अंतर्गत औरंगाबाद जिला के कुल 26 राजस्व ग्राम में 75.297 हे0 भूमि का अर्जन किया जाना है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा बताया गया कि 53.5723 हे0 भूमि का दखल कब्जा दे दिया गया है। कुल स्वीकृत राशि 337.71 करोड में से 236.24 करोड का वितरण किया जा चुका है। सरकारी भूमि का हस्तांतरण लंबित है। 02 राजस्व ग्रामों का प्राक्कलन पर पुनर्विचार करने का अनुरोध छः सदस्यीय समिति से किया गया है।

प्रधान सचिव द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद को मुआवजा भुगतान यथाशीघ्र करने तथा सरकारी भूमि के हस्तांतरण हेतु प्रस्ताव विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

16.एन0एच0–02 (औरंगाबाद–चोरदाहा खंड):– इस परियोजना अंतर्गत औरंगाबाद जिला में 24.94 हे0 भूमि का अर्जन किया जाना है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा बताया गया कि कुल प्राप्त राशि 90.88 करोड में से 82.12 करोड का वितरण किया जा चुका है। अवशेष मुआवजा भुगतान प्रकियाधीन है। एन0 एच0 ए0 आई के पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि सरकारी भूमि का हस्तांतरण लंबित है।

इस परियोजना अंतर्गत गया जिला में कुल 39.60 हे0 भूमि का अर्जन किया जाना है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गया द्वारा बताया गया कि कुल प्राप्त राशि 159.00 करोड में से 92.25 करोड का वितरण किया जा चुका है। एन0 एच0 ए0 आई0 के पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि सरकारी भूमि का हस्तांतरण लंबित है। मुआवजा भुगतान की गति तीव्र किये जाने की आवश्यकता है। 05 राजस्व ग्राम में दखल–कब्जा प्राथमिकता के आधार पर दिये जाने की आवश्यकता है। छुटे हुए खेसरा/रकवा का 3ए0 नोटिफिकेशन भी प्राथमिकता के आधार पर किये जाने की आवश्यकता है।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा मुआवजा भुगतान यथाशीघ्र करने का निदेश जिला भू अर्जन पदाधिकारी, गया को दिया गया। आमस अंचल में चकबंदी से प्रभावित मामलों का निष्पादन विभागीय दिशानिर्देश के आलोक में करने का निदेश दिया गया।

17. रामजानकी मार्ग:– इस परियोजना अंतर्गत सीवान जिला के कुल 42 राजस्व ग्राम में कुल 257.828 हे0 भूमि का अर्जन किया जाना है। 3ए के पूर्व एन0एच0ए0आई0 से प्लॉट वेरिफिकेशन के लिए अमीन की मांग की गयी है।

इस परियोजना अंतर्गत सारण जिला के कुल 08 राजस्व ग्राम में कुल 36.62 हे0 भूमि का अर्जन किया जाना है। 3ए प्रस्ताव की जांच की जा रही है। प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा 15 जून 2019 तक 3ए किये जाने का निदेश दिया गया।

इस परियोजना अंतर्गत गोपालगंज जिला के कुल 10 राजस्व ग्राम में कुल 25.524 हे0 भूमि का अर्जन किया जाना है। अधियाचना एलाइन्मेंट में सुधार हेतु एन0एच0ए0आई0 को वापस किया गया था, जो वापस अबतक अप्राप्त है।

इस परियोजना अंतर्गत पू0चंपारण जिला के कुल 22 राजस्व ग्राम में कुल 108.29 हे0 भूमि का अर्जन किया जाना है। एलाइन्मेंट की जांच छः सदस्यीय समिति द्वारा की जा रही है।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा एलाइन्मेंट की जांच जून के अंत तक कर लिये जाने का निदेश दिया गया।

18. एन0एच0–104 (शिवहर–सीतामढी–जयनगर खंड):– इस परियोजना अंतर्गत शिवहर जिला में कुल 0.422 हे0 भूमि का अर्जन किया जाना है। कुल प्राप्त राशि 15.08 करोड में से 14.73 करोड का वितरण किया जा चुका है। एक मौजा के मिसिंग प्लॉट का 3डी एवं दर निर्धारण हो चुका है। 3जी की कार्रवाई की जा रही है।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा 3जी की कार्रवाई यथाशीघ्र करने का निदेश दिया गया।

इस परियोजना अंतर्गत सीतामढी जिला में कुल 29.952 हे0 भूमि का अर्जन किया जाना है। कुल प्राप्त राशि 39.22 करोड में से 29.92 करोड का वितरण किया जा चुका है। सभी भूमि का दखल कब्जा दिया जा चुका है। 1.2769 हे0 सरकारी भूमि के हस्तांतरण का प्रस्ताव विभाग को अबतक अप्राप्त है।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी को सरकारी भूमि का हस्तांतरण के प्रस्ताव यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

इस परियोजना अंतर्गत मधुबनी जिला में कुल 32.675 हे0 भूमि का अर्जन किया जाना है। कुल प्राप्त राशि 64.14 करोड में से 55.59 करोड का वितरण किया जा चुका है। 13.185 एकड़ सरकारी भूमि का हस्तांतरण जिला स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मधुबनी को सरकारी भूमि का हस्तांतरण के प्रस्ताव यथा शीघ्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा बताया गया कि अतिक्रमण हटाने हेतु 7 जून की तिथि निर्धारित की गई है।

19. एन0एच0–104 (27–40 कि0मी0 चकिया–शिवहर खंड):– इस परियोजना अंतर्गत शिवहर जिला में कुल 13.218 हे0 भूमि का अर्जन किया जाना है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, शिवहर द्वारा बताया गया कि प्राप्त कुल राशि 21.55 करोड में से 16.01 करोड का वितरण किया जा चुका है। अवशेष मुआवजा राशि का वितरण किया जा रहा है। संरचनाओं का प्राक्कलन स्वीकृति हेतु लंबित है।

इस परियोजना अंतर्गत पूर्वी चम्पारण जिला में कुल 6.308 हे0 भूमि का अर्जन किया जाना है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) द्वारा बताया गया कि प्राक्कलित कुल राशि 39.14 करोड में से 33.26 करोड का वितरण किया जा चुका है। अवशेष मुआवजा राशि का वितरण किया जा रहा है। सरकारी भूमि का हस्तांतरण जिला स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

प्रधान सचिव द्वारा सरकारी भूमि के हस्तांतरण हेतु प्रस्ताव विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

20–एन0एच0–77 (मुज0–सोनवर्षा खंड):– इस परियोजना अंतर्गत मुजफ्फरपुर जिला में कुल 53.399 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। सभी भूमि का दखल कब्जा दे दिया गया है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा बताया गया कि प्राप्त कुल राशि 76.51 करोड में से 63.16 करोड का वितरण किया जा चुका है। अवशेष मुआवजा राशि का वितरण किया जा रहा है। 10 ग्राम का प्राक्कलन एन0एच0ए0आई0 के पास लंबित है तथा राशि अप्राप्त है।

21. एन0एच0–85 (छपरा–गोपालगंज खंड):– इस परियोजना अंतर्गत गोपालगंज जिला में कुल 50.442 हे0 भूमि का अर्जन किया जाना है। 13 ग्रामों में से 12 ग्राम का दखल कब्जा दे दिया गया है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा बताया गया कि प्राप्त कुल राशि 76.98 करोड में से 28.10 करोड का वितरण किया जा चुका है। अवशेष मुआवजा राशि का वितरण किया जा रहा है। 01 राजस्व ग्राम का प्राक्कलन एन0एच0ए0आई0 द्वारा त्रुटि निराकारण हेतु वापस किया गया है। मीरगंज हरखौली में भूमि का प्रकृति का निर्धारण एवं दर निर्धारण जिला स्तर पर प्रकियाधीन है। एन0एच0ए0आई0 के पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 02 राजस्व ग्रामों का 3जी0 प्राक्कलन जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोपालगंज के पास प्रकियाधीन है। कुछ स्थलों पर रैयतो द्वारा कार्य में बाधा उत्पन्न किया जा रहा है। छुटे हुए खेसरा का 3ए CALA स्तर पर प्रकियाधीन है। मीरगंज हरखौली का प्राक्कलन जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोपालगंज को सौप दिया गया है।

इस परियोजना अंतर्गत सीवान जिला में कुल 68.12 हे0 भूमि का अर्जन किया जाना है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सीवान द्वारा बताया गया कि अवशेष मुआवजा राशि का वितरण किया जा रहा है। एन0 एच0 ए0 आई0 के पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 01 मौजा पकड़ी बंगाली का 3डी0 नोटिफिकेशन में भूमि की प्रकृति का

दर उपलब्ध नहीं रहने के कारण पास के गाँव के दर के आधार पर 3जी0 प्राक्कलन स्वीकृत किया गया है अब रैयतों द्वारा मुआवजा भुगतान नहीं लिया जा रहा है तथा उच्च दर पर मुआवजा की मांग की जा रही है।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सीवान को रैयत से बात कर/न्यायालय में पैसा जमा कर आगे की कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

इस परियोजना अंतर्गत सारण जिला में कुल 24.57 हे0 भूमि का अर्जन किया जाना है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सारण द्वारा बताया गया कि अवशेष मुआवजा राशि का वितरण किया जा रहा है। 1.02 हे0 सरकारी भूमि का हस्तांतरण जिलास्तर पर प्रक्रियाधीन है। एन0 एच0 ए0 आई0 के पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि छुटे हुए खेसरा संबंधी 3ए0 नोटिफिकेशन जिला भू–अर्जन पदाधिकारी को भेजा गया है। 01 ग्राम एकमा का 3जी0 प्राक्कलन जिला भू–अर्जन पदाधिकारी के पास विकासशील प्रकृति के कारण समीक्षा हेतु भेजा गया है।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सारण को सरकारी भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

22. एन0एच0–19 (छपरा–हाजीपुर खंड):– इस परियोजना अंतर्गत सारण जिला के कुल 80 राजस्व ग्रामों में भू–अर्जन की कार्रवाई की जा रही है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सारण द्वारा बताया गया कि अवशेष मुआवजा राशि का वितरण किया जा रहा है। 27.022 हे0 सरकारी भूमि का हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है। छूटे हुए खेसरों से संबंधित प्राक्कलन इस सप्ताह के अंत तक उपलब्ध करा दिया जाएगा। एन0एच0ए0आई0 के पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि ग्राम बकरपुर, परमानन्दपुर, चतुरपुर के रैयत आरबीट्रेशन में गये थे आरबीट्रेटर के एवार्ड के विरूद्ध एन0 एच0 ए0 आई द्वारा जिला न्यायालय छपरा में अपील किया गया है।

23. एन0एच0–102 (छपरा–रेवाघाट–मुज0 खंड):– इस परियोजना अंतर्गत सारण जिला में कुल 36.446 हे0 भूमि का अर्जन किया जाना है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सारण द्वारा बताया गया कि प्राप्त कुल राशि 128.16 करोड में से 108 करोड राशिका वितरण किया जा चुका है। अवशेष मुआवजा राशि का वितरण किया जा रहा है। 1.979 हे0 सरकारी भूमि का हस्तांतरण जिलास्तर पर प्रक्रियाधीन है।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सारण को सरकारी भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

इस परियोजना अंतर्गत मुजफ्फरपुर जिला में कुल 5.41 हे0 भूमि का अर्जन किया जाना है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा बताया गया कि प्राप्त कुल राशि 18.97 करोड में से 17.41 करोड राशि का वितरण किया जा चुका है। अवशेष मुआवजा राशि का वितरण किया जा रहा है। सरकारी भूमि का हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सरकारी भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

24. एन0एच0–82 (बी0एस0आर0डी0सी0):– इस परियोजना अंतर्गत नवादा जिला के कुल 32 राजस्व ग्रामों में कुल 69.513 हे0 भूमि का अर्जन किया जाना है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, नवादा द्वारा बताया गया कि प्राप्त कुल राशि 97.77 करोड में से 56.19 करोड राशि का वितरण किया जा चुका है। अवशेष मुआवजा राशिका वितरण किया जा रहा है। सरकारी भूमि का हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है। 2 राजस्व ग्रामों का 3जी लंबित है।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, नवादा को सरकारी भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

इस परियोजना अंतर्गत गया जिला में कुल 193.1581 एकड. भूमि का अर्जन किया जाना है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गया द्वारा बताया गया कि प्राप्त कुल राशि 243.00 करोड में से 142 करोड राशि का वितरण किया जा चुका है। अवशेष मुआवजा राशि का वितरण किया जा रहा है। सरकारी भूमि का हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है। 34 राजस्व ग्रामों का 3जी स्वीकृत है। 02 राजस्व ग्रामों का प्राक्कलन एन0एच0ए0आई0 के पास लंबित है। 09 मौजा के मिसिंग प्लॉट का 3जी एन0एच0ए0आई0 के पास लंबित है। एक मौजा पुनावा में 06 जून से 10 जून के बीच अतिक्रमण हटाने हेतु फोर्स डिप्लॉय किया गया है।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गया को सरकारी भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव यथाशीघ्र उपलब्ध कराने एवं अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

बैठक की कार्रवाई धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त की गयी।

21/6/19

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र)
निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।

ज्ञापांकः–14 / डी.एल.ए. एन.एच.ए.आई.(समीक्षा बैठक)–16 / 2018– 567 पटना, दिनांक–21/06/2019

प्रतिलिपिः–समाहर्त्ता एवं जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद / नवादा / जहानाबाद / अरवल / गया / भागलपुर / बाँका / सारण / सीवान / गोपालगंज / मुजफ्फरपुर / पूर्वी चम्पारण / पश्चिम चम्पारण / सीतामढ़ी / वैशाली / शिवहर / दरभंगा / मधुबनी एवं समस्तीपुर एवं जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/6/19

निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।

ज्ञापांकः–14 / डी.एल.ए. एन.एच.ए.आई.(समीक्षा बैठक)–16 / 2018– 567 पटना, दिनांक–21/06/2019

प्रतिलिपिः–एन0 एच0 ए0 आई0 के पदाधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, डी0–63, प्रथम तल, श्रीकृष्णापुरी पटना–800001 एवं एन0 एच0 ए0 आई0 के पदाधिकारी, सड़क परिवहन एवं उच्च पथ मंत्रालय, भारत सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/6/19

निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।

ज्ञापांकः–14 / डी.एल.ए. एन.एच.ए.आई.(समीक्षा बैठक)–16 / 2018– 567 पटना, दिनांक–21/06/2019

प्रतिलिपिः–महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर एवं महाप्रबंधक, उत्तर–पूर्व रेलवे, गोरखपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/6/19

निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।

ज्ञापांकः–14 / डी.एल.ए. एन.एच.ए.आई.(समीक्षा बैठक)–16 / 2018– 567 पटना, दिनांक–21/06/2019

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/6/19

निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।

ज्ञापांकः–14/डी.एल.ए. एन.एच.ए.आई.(समीक्षा बैठक)–16/2018– 567 पटना, दिनांक– 21/06/2019

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/6/19

निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।

ज्ञापांकः–14/डी.एल.ए. एन.एच.ए.आई.(समीक्षा बैठक)–16/2018– 567 पटना, दिनांक– 21/06/2019

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को ई–मेल एवं विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

21/6/19

निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।